213

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्र0- सन-2015-16 निग/3654-II-15

1- रामचरन आयु 65 वर्ष तनय श्री सरजू कुर्मी

2- बाल किशन आयु 45 वर्ष तनयश्री रामचरन कुर्मी

3- राम लाल आयु 40 वर्ष तनय रामचरन कुर्मी

4- लक्ष्मी प्रसाद आयु 35 वर्ष तनय रामचरन कुर्मी

समस्त निवासीगण ग्राम मौराहा तह0 व जिला छतरपुर म0 प्र0 .. .. आवेदकगण

बनाम

1- गौरीशंकर आयु 65 वर्ष तनय धुरी कुर्मी

निवासी ग्राम मौराहा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

2- मध्यप्रदेश शासन .. .. अनावेदकगण

श्री सर्वेश चतुर्वेदी अभि. द्वारा आज दि. 7.11.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-55/अपील/ना0 पं./13-14 में पारित आदेश दिनांक- 28.09.15 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

मान्यवर,

आवेदकगण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0-1 द्वारा न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जायेगा) के समक्ष भूमि ख0न0- 389 के सम्बन्ध में नामांतरण पंजी क्र0- 158 वर्ष 2012-13 ग्राम मौराहा में पारित आदेश दिनांक - 1605.13 के विरूद्ध अपील क्र0-55/अपील/नां.पं./2013-14 प्रस्तुत की, उक्त अपील प्रकरण के साथ बिलंब क्षमा किये जाने बाबत आवदन-पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया , उक्त आवेदन-पत्र का जबाब, तथा एक आवेदन-पत्र प्रकरण इस आधार पर प्रचलन योग्य न होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्र0-1

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3654–दौ/15 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –08–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता के.के. द्विवेदी उपस्थित अनावेदक की ओर से मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित. उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्र.क्र. 55/अपील/ना.प./13–14 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानीकर्ता अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार छतरपुर ने नामांतरण पंजी कं. 158 आदेश दिनांक 16.5.13 के तहत बंटवारा आदेश पारित किया था जिसका रिकार्ड में अमल भी हो चुका है, पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील अनावेदक गौरीशंकर के द्वारा प्रस्तुत की, जिसके तहत उन्होने प्र.कं. 55/अपील/ना.प./13–14 में पारित आदेश दिनांक 28.9.15 के द्वारा अवधि बाहग्य अपील को समय सीमा में मान्य किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.9.15 निरस्त करने का अनुरोध किया है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि उसे सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसील न्यायालय में आदेश दिनांक 16.5.2013 को आवेदकगण ने हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 हिस्सा बटवांरा में प्राप्त कर ली इसके अतिरिक्त नामांतरण पंजी पर बंटवारा करा लिया जबकि पंजी पर बटवांरा नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा पारित बटवांरा आदेश की जानकारी माह जनवरी 2014 में हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील दिनांक 05.02.2014 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2015 स्थिर रखते हुये निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया जिसके अनुसार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.5.2013 के आदेश की जानकारी माह जनवरी 2014 को होने से अपील दिनांक 05.02.2014 प्रस्तुत की जाकर आदेश पत्रिका दिनांक 28.09.2015 को अपील समय सीमा में मान्य कर कोई त्रुटिकारित होना नहीं पाई जाती है परिणामतः पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3654–दौ/15 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है एवं अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 स्थिर रखा जाता है। सदस्य	